रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277970
CG-DL-E-17112026-277970

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5998] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2026/कार्तिक 25, 1948
No. 5998] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2026/KARTIKA 25, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2026

का.आ. 6238(अ).— केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उन व्यक्तियों और उस रीति को विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा निम्नलिखित सूचना पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड की जाएगी, अर्थात्:—

(1) (क) किसी भारतीय पत्तन या लंगर पर पहुँचने के उद्देश्य वाले प्रत्येक जलयान का मास्टर, स्वामी, एजेंट या प्रचालक, आगमन- पूर्व, भारतीय पत्तन नियम, 2026 के अनुसार अग्रिम अपशिष्ट नोटिस तैयार और अपलोड करेगा।

(ख) किसी रिसेप्शन सुविधा को जलयान-जनित अपशिष्ट का परिदान होने पर, प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी, प्राधिकृत अपशिष्ट रिसेप्शन संविदाकार, या अन्य नामित संस्था, अपशिष्ट की स्वीकृति और लागू मानकों के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए पोर्टल पर अधिप्रमाणित अपशिष्ट परिदान रसीद अपलोड करेगा; और

(ग) प्रत्येक जलयान के प्रचालक, एजेंट, मास्टर या स्वामी द्वारा, पोर्टल पर रिसेप्शन सुविधाओं के लिए अनुरोध इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकरण" शब्द का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में इसे प्रदान किया गया है।

(2) सूचना की सभी इलेक्ट्रॉनिक अपलोडिंग, पोर्टल पर निर्धारित प्ररूपों में की जाएगी।

स्पष्टीकरण — इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, "पोर्टल" से "समुद्रीय एकल खिड़की" अभिप्रेत है जैसाकि भारतीय पत्तन नियम, 2026 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (छ) में परिभाषित है।

2. यह अधिसूचना 1 दिसंबर, 2026 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पीडी -24015/18/2026-पीडी-1/ई-383490]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2026

S.O. 6238(E).— In exercise of the powers conferred by section 43 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), the Central Government hereby specifies the persons by whom, and the manner in which, the following information shall be electronically uploaded on the portal, namely:-

(1) (a) The operator, agent, master or owner of a vessel intending to arrive at an Indian port or anchorage shall, prior to arrival, prepare and upload the advance waste notice in accordance with the Indian Ports Rules, 2026;

(b) upon delivery of vessel-generated waste to a reception facility, an officer designated by the Authority, authorised waste reception contractor or other designated entity shall upload the authenticated waste delivery receipt on the portal, certifying acceptance of the waste and compliance with applicable standards; and

(c) a request for reception facilities shall be filed electronically on the portal by the operator, agent, master or owner of a vessel.

Explanation. **—** For the purposes of this notification, the term "Authority" shall have the meaning assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Act.

(2) All electronic uploading of information shall be made in the formats specified on the portal.

Explanation. — For the purposes of this notification, the term "portal" refers to the "maritime single window" as defined in clause (g) of sub-rule (1) of rule 3 of the Indian Ports Rules, 2026.

2. This notification shall come into force on the 1st day of December, 2026.

[F. No. PD-24015/18/2026-PD-1/E-383490]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.